

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)
फार्म - (क)

सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-
 - (i) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण
जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र
लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा
मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक
निर्माण हेतु 1.800हे0वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
संलग्न पृष्ठ सं0
 - (ii) 1:50000 स्कैल मैप पर वन भूमि और उसके
आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने
वाला मैप।
 - (iii) परियोजना की लागत
रु0 50.32लाख।
 - (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य
आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य
भूमि उपलब्ध नहीं है।
 - (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
संलग्न
 - (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।
 1. दैनिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
 2. कृषि के अन्तर्गत गांवों में उत्पादित फलों एवं
खाद्यान को ग्रामीण, मण्डी/बाजार तक बेचने के
लिए लेजाने में सुविधा मिलेगी।
 3. डेरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
 4. पर्यटन सम्बन्धी रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण
परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण यदि कोई है :-
 - (अ) परिवारों की संख्या
 - (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
लागू नहीं।
 - (स) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
नहीं।
 4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के
अन्तर्गत मंजूरी आव यक है। (हाँ/नहीं)
संलग्न है।
 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण
और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की
लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार
की गई योजनाके अनुसार संरक्षण लागत और
सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/
संलग्न है।
दस्तावेजों का व्यौरा।
 - 6.

तिथि :-

स्थान :- लैन्सडौन।

अधिसासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रस्ताव की राज्य कम सं0.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)